फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री नवलसिंह पिता घीसासिंह निवासी सिरोही की भागल, गावॅगुडा, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 13/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 18.05.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये क्रमांक: राजस्व/21/486 दिनांक 12.04.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2021 में वर्णित सूचना इस कार्यालय स्तर पर उपलब्ध नही होने व तहसीलदार खमनोर से सम्बन्धित होने से इस कार्यालय के पत्रांक 465–66 दिनांक 04.03.2021 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार खमनोर को हस्तान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचना भिजवाई गई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार खमनोर से बिना जानकारी किये प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी हैं। तहसीलदार खमनोर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचना में तहसील खमनोर में उपलब्ध सूचना बिन्दु संख्या 3 से 5 की तहसीलदार खमनोर के पत्र क्रमांक 248–51 दिनांक 12.04.2021 से भिजवाई जा चुकि हैं। बिन्दु संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित होने से प्रार्थी को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया हैं।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित बिन्दू संख्या 03 से 05 की सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने व बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना ग्राम पंचायत से सम्बन्धित होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द